तृतीय अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा एक कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता, अच्छे प्रशासन के लक्ष्यों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य सरकार को मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसमें योजना की रणनीति एवं निर्णय लेने की क्षमता सम्मिलित है, सहायक होता है। यह अध्याय वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देश सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

राज्य सरकार एजेंसियों, निकायों और संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, अस्पताल, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य को सहायक अनुदान वितरित करता है। इस तरह जारी किए गए अनुदान इन एजेंसियों, निकायों तथा संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के परिचालन व्यय को पूरा करने और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपयोग किया जाता है।

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-I नियम 182 के अनुसार वार्षिक या गैर आवर्ती सशर्त अनुदान के मामलों में विभागीय अधिकारी जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायक अनुदान आहरित की गई हो, को उस वर्ष के 30 सितम्बर या उससे पहले जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है, का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को भेजा जाना चाहिए।

वर्ष 2012-13 (सितम्बर 2012 तक) विभिन्न विभागों को दिए गए सहायक अनुदान के विरूद्ध लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण

वर्ष	31 मार्च 2014 तक अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	संख्या	*राशि (₹ करोड़ में)*
2010-11 तक	8347	4,792.30
2011-12	3976	2,187.01
2012-13 (09/2012 तक)	2579	1,885.07
योग	**14902**	**8,864.38**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2013-14)

तालिका 3.1 से देखा जा सकता है कि 14902 उपयोगिता प्रमाण पत्र जिसकी कुल राशि ₹ 8,864.38 करोड़ थी जिसके प्रमाण पत्र 31 मार्च 2014 तक बकाया थे। विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाया गया है। निर्दिष्ट अवधि के उपरांत भी उपयोगिता प्रमाण पत्रों का लंबित होना अनुदान के उपयोग पर आश्वासन के अभाव को इंगित करता है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में देरी मुख्यतः स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और आवंटन (₹ 3,287.79 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 828.90 करोड़), शहरी विकास (₹ 856.30 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 540.12 करोड़), फसल कृषि (₹ 463.70 करोड़) और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 403.33 करोड़) से संबंधित है।

3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों का लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

3.2.1 नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 और 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किए जाने वाले संस्थानों/संगठनों को चिन्हित करने के क्रम में विभिन्न संस्थाओं को प्रदान किये गये वित्तीय सहायता, सहायता के उद्देश्य एवं संस्थानों के कुल व्यय का एक विस्तृत विवरण सरकार/विभागाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। आगे, लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 में उल्लेख है कि सरकार तथा विभागाध्यक्ष जो संस्थाओं या प्राधिकरणों को अनुदान तथा/अथवा ऋण संस्वीकृत करते है, को प्रत्येक वर्ष जुलाई तक (क) सहायता की राशि (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई थी एवं (ग) निकाय/प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित करते हुए उन निकायों/प्राधिकरणों जिन्हें ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदानों तथा/या ऋणों का भुगतान किया गया हो, कि एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजेगा।

छत्तीसगढ़ शासन के किसी भी विभाग ने वर्ष 2013-14 के लिए ऐसा कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकरण को जुलाई 2014 में वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया था। अक्टूबर 2014 तक उत्तर प्रतिक्षित था।

राज्य के वार्षिक लेखों 2013-14 से एकत्रित जानकारी के आधार पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किये गये 41 निकायों/संस्थानों में से तीन निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा दिसम्बर 2014 तक विभिन्न अवधियों में की गई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

ऐसे निकायों/प्राधिकरणों को सरकार द्वारा दिये गए वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य और कुल व्यय संबंधी सूचनाओं के प्रस्तुत न किये जाने के कारण विधानमंडल/सरकार को अनुदान के उपयोग के संबंध में जिसके लिए अनुदान स्वीकृत/भुगतान किया गया था, आश्वासन प्रदान करना संभव नहीं था। यह सरकारी व्यय पद्धति में नियंत्रण को कमजोर बनाता है।

3.2.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा 30 स्वायत्त निकायों को विभिन्न क्षेत्र में जैसे की कृषि, कानूनी, आवास और ग्रामीण विकास इत्यादि में प्रतिस्थापित किया गया है। राज्य की दो स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है

और उनकी लेखापरीक्षा उनके लेनदेन, परिचालन गतिविधियाँ, वार्षिक खाता, प्रणालियों के नियामक/अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा के आधार पर संपादन किया जाता है। सौंपे गये लेखापरीक्षा की स्थिति, लेखाओं का प्रतिपादन की स्थिति, स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधायिका में प्रस्तुत करने की जानकारी **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2 लेखाओं की प्रस्तुत करने की स्थिति

सं. क्र.	निकायों के नाम	लेखापरीक्षा सौंपने की अवधि	लेखाओं की प्रस्तुति की अवधि	एस.ए.आर. जारी करने की अवधि	राज्य विधायक में एस.ए.आर. की प्रस्तुति
1	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर	लोक सभा के विधेयक के तहत सौंपा गया	2007-08 से 2011-12	2007-08	जुलाई 2013 को एस.ए.आर. जारी किया गया। एस.ए.आर. को विधान सभा के पटल में प्रस्तुति की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। संबंधित विभाग को स्मरणपत्र जारी किया गया। (अक्टूबर 2014)।
2	छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल, रायपुर	2007-08 से 2011-12	2007-08 से 2009-10	-	वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के ईकाई की लेखा फरवरी 2014 में प्राप्त हुआ। इस लेखाओं के लेखापरीक्षा की गई, एस.ए.आर. तैयार की जा रही है।

तालिका 3.2 में दर्शाये अनुसार लेखाओं के प्रस्तुत करने और विधान सभा के पटल में एस.ए.आर. को प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप स्वायत्त निकायें जहाँ सरकारी राशि निवेशित है के वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक सुधारात्मक कारवाई शुरू करने एवं उस निकायों के कामकाज के जांच में देरी हो रही थी।

3.3 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता (छ.को.सं.) के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चालू माह के प्रथम देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि उनके द्वारा आहरित पूर्व माह के सभी संक्षिप्त देयकों के लिए विस्तृत देयकों को संबंधित नियंत्रण अधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर कर महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के पूरक नियम 327 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अगले माह के 5 तारीख के अंदर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ मासिक विस्तृत आकस्मिक देयक को नियंत्रण अधिकारी के पास जमा करना चाहिए। नियंत्रण अधिकारी को महालेखाकार के पास पारित विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करना चाहिए ताकि यह महालेखाकार कार्यालय में प्रत्येक माह के 25 तारीख के अंदर प्राप्त हो जाए। वर्षवार विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित देयकों के जमा करने में विलम्ब की जानकारी **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की स्थिति।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान आहरित ए.सी. देयक		वर्ष के दौरान जमा किए गए डी.सी. देयक		बकाया ए.सी. देयक	
	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि
वर्ष 2012-13 तक	0	0	206	6.22	106	1.93	100	4.29
2013-14	100	4.29	378	472.25	391	413.41	87	63.13

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2013-14 तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा सम्मिलित जानकारी)

राशि ₹ 63.13 करोड़ के 87 लंबित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों में अधिकांशतः सहकारिता (₹ 52.97 करोड़), वन तथा वन्य प्राणी (₹ 6.02 करोड़), उद्योग (₹ 1.93 करोड़) तथा ग्राम एवं लघु उद्योग (₹ 1.82 करोड़) से संबंधित थे। संक्षिप्त आकस्मिक देयकों जिनके विस्तृत देयक 31 मार्च 2014 तक लंबित थे, का मुख्य शीर्षवार विवरण **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है।

3.4 हानि तथा गबन के प्रकरणों का प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-I के नियम 22 एवं 23 में प्रावधान है कि लोक धन की हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक प्रकरण महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। संहिता के नियम 24 में प्रावधान है कि अचल संपत्ति जैसे भवन, सड़क एवं पुलिया की अग्नि, बाढ़, तूफान, भूकंप अथवा अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई हानि को भी महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके अनुसरण में विभागों को विस्तृत जाँच करके हानि के कारणों तथा पुनरावृत्ति रोकने के उपायों/कार्यवाही से अवगत कराना चाहिए।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित 1,679 लंबित प्रकरणों में ₹ 18.93 करोड़ शासकीय धन का मार्च 2014 के अंत तक निर्णयात्मक जाँच एवं निपटारा अपेक्षित था। ऐसे लंबित प्रकरणों का विभागवार तथा श्रेणीवार स्थिति **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है। प्रकरणों का वर्षवार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है। लंबित प्रकरणों की अवधिवार स्थिति एवं प्रत्येक श्रेणी जैसे चोरी एवं हानि के लंबित प्रकरण को **तालिका 3.4** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.4 हानियों एवं गबनों आदि की स्थिति

(₹ लाख में)

लंबित प्रकरणों की अवधि		
श्रेणी (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 - 5	264	440.29
5 - 10	336	490.34
10 - 15	203	339.14
15 - 20	220	288.26
20 - 25	230	139.99
25 एवं उससे अधिक	426	194.93
योग	**1,679**	**1,892.95**

लंबित प्रकरणों की प्रकृत्ति		
प्रकरण की प्रकृत्ति	प्रकरणों की संख्या	राशि
चोरी	132	51.12
संपत्ति/सामग्रियों की हानि	1,483	1,759.30
गबन	64	82.53
कुल लंबित प्रकरण	**1,679**	**1,892.95**

(स्रोतः राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण)

आगे विश्लेषण दर्शाता है कि जिन कारणों से प्रकरण लंबित है उनको **तालिका 3.5** में पाँच श्रेणीयों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तालिका 3.5 हानि एवं गबन आदि के प्रकरणों के लंबित रहने के कारण

(₹ लाख में)

सं. क्र.	प्रकरण विलम्ब/लंबित होने के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	विभागीय एवं फौजदारी अनुसंधान की अपेक्षा में लंबित	343	710.83
2	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ लेकिन अंतिम तौर पर निर्णित नहीं	188	204.39
3	फौजदारी कार्यवाही निर्णित लेकिन राशि की वसूली संबंधी कार्यवाही लंबित	37	28.40
4	वसूली/अपलेखन के आदेश अपेक्षित	1,082	933.13
5	न्यायालय में प्रकरण लंबित	29	16.20
	योग	**1,679**	**1,892.95**

(स्रोतः राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रकरण)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि 1,679 लंबित प्रकरणों में 1,082 प्रकरण (64 प्रतिशत) जिसका मूल्य ₹ 933.13 लाख था, विभागों/शासन द्वारा वसूली अथवा अपलेखन आदेश न जारी किए जाने के फलस्वरूप लंबित था। यह इंगित करता है कि विभागों/शासन के द्वारा विलंब से कार्यवाही के परिणामस्वरूप शासकीय धन की वसूली या प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाया।

3.5 व्यक्तिगत निक्षेप खाते

व्यक्तिगत निक्षेप खातें ऐसा जमा खातें है, जो कोषालय में लेखाओं के प्रशासक के नाम से रखा जाता है। इस राशि को 8443- सिविल जमा 106- व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत रखा जाता है। राशि समेकित निधि से (लेखे के अंतिम शीर्ष से विकलित कर) आहरित कर विशेष उदेश्य के लिय उपयोग की जाती है।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता, भाग-1 के नियम 543 के व्यक्तिगत निक्षेप खातों के रखरखाव के लिए निर्मित प्रावधानानुसार व्यक्तिगत निक्षेप खाते जो राज्य के समेकित निधि को विकलित कर खोले जाते है उन्हें वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर उसे संबंधित सेवा शीर्ष में ऋणात्मक जमा कर बंद कर दिया जाना चाहिए। वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने भी मार्च 2013 में व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बंद करने को कहा है।

राज्य मे व्यक्तिगत निक्षेप खातें का विवरण **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6 व्यक्तिगत निक्षेप खाते का विवरण

(₹ करोड़ में)

खाते की संख्या तथा राशि 1 अप्रैल 2013 तक		वर्ष के दौरान खोले गए खाते		वर्ष के दौरान बंद किए गए खाते		लेन-देन की राशि (शुद्ध) वर्ष के दौरान	31 मार्च 2014 की स्थिति में लेखा की संख्या एवं राशि	
137	605.79	209	722.39	24	6.15	1,059.83	322	1,665.62

(स्रोतः वित्त लेखे)

व्यक्तिगत खाते में अंतिम शेष यह इंगित करता है कि प्रशासकों ने नियमानुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संबंधित सेवा शीर्ष को ऋणात्मक विकलन नहीं किया। चूँकि व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित राशि राज्य के संचित निधि में अंतिम व्यय के रूप में

दिखाया जाता है, अतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत निक्षेप खाते बंद न किये जाने से उस वर्ष संचित निधि के अंतर्गत व्यय अधिक प्रदर्शित होता है।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में कुल शेष राशि का विवरण **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है

तालिका 3.7 व्यक्तिगत निक्षेप खाते में निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक राशि	प्राप्तियां/जमा	आहरण	अंतिम शेष
2009-10	434.40	400.62	337.41	497.60
2010-11	497.60	590.36	591.61	496.34
2011-12	496.34	669.96	437.08	729.22
2012-13	729.22	224.76	348.19	605.79
2013-14	605.79	1,388.51	328.68	1,665.62

(स्रोतः संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

राज्य कोषालय संहिता भाग-I के सहायक नियम 584 से 590 के अधीन राज्य सरकार के निर्देशानुसार संबंधित व्यक्तिगत जमा खाता के प्रशासक इस आशय का एक वार्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि प्रशासक की लेखा पुस्तिका में दर्ज शेषों का मिलान मार्च माह के धन ऋण पत्रक में दर्ज शेषों से हो रहा है। 31 मार्च 2014 के स्थिति में 322 में से 268 प्रशासकों के व्यक्तिगत निक्षेप खातें में दर्शाए ₹ 1,513.12 करोड़ के शेषों का मिलान नहीं किया गया था। व्यक्तिगत निक्षेप खातों का कोषालय खातों से समय-समय पर मिलान करने की जिम्मेदारी प्रशासकों की होती है। आगे देखा गया कि एक व्यक्तिगत निक्षेप खाता जिसमें राशि ₹ 5.11 लाख था वर्ष के दौरान संचालित नहीं था।

3.6 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

अनुदान के विरूद्ध लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र

- विभिन्न विभागों द्वारा 2012-13 तक जारी सहायक अनुदान के विरूद्ध ₹ 8,864.38 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2014 तक लंबित थे। सहायता अनुदान के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होना यह इंगित करता है कि समय पर निर्धारित उपयोग के लिए दिये गये अनुदान का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विभागीय अधिकारी विफल रहे।

  यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार द्वारा जिस उद्देश्य के लिए अनुदान दिया गया है उसका समय पर उपयोग सुनिश्चित करें एवं उसके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जमा करे।

स्वायत्त निकायों प्राधिकरणों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं की लेखाओं का जमा करना तथा लेखापरीक्षा करना

- सरकारी विभाग द्वारा समय पर अनुदानित संस्थाओं के लेखे महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत नहीं किया गया है। विभाग द्वारा स्वायत्त निकायों के स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने की वस्तुस्थिति महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित नहीं किया गया।

  यह अनुशंसा की जाती है कि सरकारी विभाग स्वायत्त निकाय के लेखे समय पर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को जमा करना सुनिश्चित करे।

संक्षिप्त आकस्मिक देयक से राशि का आहरण

- वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान ₹ 63.13 करोड़ का आहरण संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के माध्यम से किया गया जो कि मार्च 2014 तक विस्तृत आकस्मिक देयक के जमा न करने के कारण लंबित थे।

  यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार को नियम तथा प्रावधानों के अनुसार विस्तृत आकस्मिक देयकों का समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

हानि तथा गबन के प्रकरण

- विभिन्न विभागों के ₹ 18.93 करोड़ के 1,679 हानि प्रकरण 31 मार्च 2014 तक लंबित थे। विभाग द्वारा कार्यवाही में विलंब के कारण शासकीय राशि की वसूली नहीं हो रही थी।

  यह अनुशंसा की जाती है कि सरकारी विभाग को लंबित हानि प्रकरण के निपटान के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

व्यक्तिगत निक्षेप खातों में जमा राशि

- वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद भी व्यक्तिगत निक्षेप खातों को संचालित रखना छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लघंन था। मार्च 2014 के समाप्ति पर व्यक्तिगत निक्षेप खाते में एक बड़ी राशि ₹ 1,665.62 करोड़ का अंतिम शेष था।

विभाग को वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर व्यक्तिगत निक्षेप खातों को बंद किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं शेष को राज्य की संचित निधि में आंतरित किया जाना चाहिए।

रायपुर
दिनांक

(बिजय कुमार मोहन्ती)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक